न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 31/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए. यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. रामस्वरूप सैनी पुत्र शिव पाल सैनी, निवासी मकान नम्बर 957, ढ़ाणी बागोरी, बड़ी ढ़ाणी गांव थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719। ऋणी
2. ममता सैनी पत्नी रामस्वरूप, निवासी मकान नम्बर 957, ढ़ाणी बागोरी, बड़ी ढ़ाणी गांव थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719। सहऋणी
3. श्योपाल पुत्र डोला राम, निवासी मकान नम्बर 957, ढ़ाणी बागोरी, बड़ी ढ़ाणी गांव थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर–332719।
   हाल पताः– खसरा नम्बर 2571/1, गांव बड़ी ढ़ाणी, ग्राम पंचायत थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332719। सहऋणी
4. राजकुमार सैनी पुत्र प्रभुदयाल, निवासी मकान नम्बर 51, शीतला माता मंदिर के पास कांवट, तहसील खण्डेला, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर– 332708। जमानती

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 30 अप्रैल, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **रामस्वरूप सैनी, ममता सैनी, श्योपाल, राजकुमार सैनी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **खसरा नम्बर 2571/1 ,गांव बड़ी ढ़ाणी, ग्राम पंचायत थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर, जिसकी नाप 500 वर्गमीटर मालिकाना हक श्योपाल का है एवं जिसकी 4 सीमाएं पूर्व में रास्ता, पश्चिम में स्वयं की कृषि भूमि, उत्तर में स्वयं की कृषि भूमि, दक्षिण में सादूराम सैनी की कृषि भूमि,** को बंधक रखकर **8,00,,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **आठ लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण को दिनांक 12.10.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.10.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **रामस्वरूप सैनी, ममता सैनी, श्योपाल, राजकुमार सैनी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **खसरा नम्बर 2571/1 ,गांव बड़ी ढ़ाणी, ग्राम पंचायत थोई, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर जिसकी नाप 500 वर्गमीटर मालिकाना हक श्योपाल का है एवं जिसकी 4 सीमाएं पूर्व में रास्ता, पश्चिम में स्वयं की कृषि भूमि, उत्तर में स्वयं की कृषि भूमि, दक्षिण में सादूराम सैनी की कृषि भूमि,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः **30 अप्रैल, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner